फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

केस संख्या :– 91/2020

रामगोपाल **बनाम** सरकार

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14.12.2020	तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा पत्र कमांक/भू0अ0/3751 दिनांक 07.09.2020 के द्वारा रामगोपाल पुत्र मूलचन्द का प्रार्थना पत्र जमाबन्दी ग्राम रूपाहेडी कलां तहसील कोटखावदा से 2073–76 के खाता संख्या 114 में अपना नाम पप्पू पुत्र मूल्या के स्थान पर रामगोपाल पुत्र मूलचन्द शुद्ध कराने का पेश होने पर बाद जॉच नाम शुद्धि हेतु भिजवाये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, फर्द मौका, पंचायत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, स्वयं रामगोपाल का शपथ पत्र व ना.स 81 के दस्तावेज बतौर सबुत भिजवाये गये। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का नाम विरासत का नामान्तकरण खोलते वक्त रामगोपाल पुत्र मुलचन्द के स्थान पर बोलते नाम पप्पू पुत्र मुल्या के नाम से खोल दिया गया जबकि बाकि समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र मुलचन्द दर्ज है जो शुद्ध किया जाना उचित समझते है ताकि राजस्व रिकार्ड शुद्ध हो सकें। अतः प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत तहसीलदार कोटखावदा की अनुसंशा एवं ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र व आधार कार्ड भामाशाह कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, एवं प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाहेडी कला तहसील कोटखावदा की जमाबन्दी संम्वत 2073–76 के खाता नंबर 114 के किता 11 रकबा 1.71 है0 अंकित प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र मुल्या के स्थान पर रामगोपाल उर्फ पप्पू पुत्र मूलचन्द उर्फ मुल्या शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है, इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	

D:\Office\CRT\ramgopal vs sarkar.docx